मुख्यमंत्री जन आवास योजना में किये गये प्रावधानों के लिए ''बेस्ट पॉलिसी मेकिंग'' पुरूस्कार

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना में किये गये प्रावधानों को देखते हुए ''बेस्ट पॉलिसी मेकिंग'' के लिए राज्य सरकार को (सीएनबीसी आवास द्वारा मुम्बई में आयोजित समारोह में) सम्मानित किया है।

यह सम्मान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के परियोजना निदेशक (रूडसिको) श्री मनोज सोनी एवं वरिष्ठ सलाहकार श्री आर.के. अग्रवाल द्वारा ग्रहण किया गया।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गरीबों को आवास देने के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रारम्भ की गई है। यह योजना प्रदेश के 49 शहरों में प्रारम्भ की गई है तथा 29 शहरों में विभिन्न स्थानों पर योजना के तहत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। योजना में राजकीय भूमि पर डवलपर्स के माध्यम से गरीबों के लिए आवास बनाकर भारत सरकार की योजना के अनुरूप अनुदान का लाभ गरीबों को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा योजना को गरीबों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। यह पुरूस्कार बेस्ट पॉलिसी मेकिंग के लिए राज्य सरकार को दिया गया है।

प्रमुख शासन सचिव डॉ मनजीत सिंह, निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा तथा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के परियोजना निदेशक (रूडसिको) श्री मनोज सोनी ने आज यह पुरूस्कार स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी को राज्य सचिवालय में भेंट किया।

प्रदेश के स्मार्ट सिटी शहरों को एशियन डवलपमेंट बैंक द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग

प्रदेश के स्मार्ट सिटी शहरों को तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग की आवश्यकताओं के आंकलन के लिए एवं आरयूआईडीपी फेज–द्वितीय के प्रथम प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर उसके अनुभव साझा करने के लिए नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी की अध्यक्षता में एक बैठक स्वायत्त शासन भवन में गुरूवार को आयोजित हुई।

प्रमुख शासन सचिव डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि एशियन डवलपमेंट बैंक द्वारा देश में राजस्थान व मध्य प्रदेश के स्मार्ट सिटी शहरों को चयन तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग के लिए किया गया है। उन्होनें बताया कि एशियन डवलपमेंट बैंक के अधिकारी राजस्थान प्रदेश के 4 स्मार्ट सिटी शहरों की योजना की आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग का आंकलन एक माह में करके राज्य सरकार को सहयोग के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात् प्रदेश के चार शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए एशियन डवलपमेंट बैंक सहयोग प्रदान करेगा। बैठक में एशियन डवलपमेंट बैंक के माध्यम से आरयूआईडीपी फेज–द्वितीय के प्रथम प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर एशियन डवलपमेंट बैंक के अधिकारियों द्वारा अपने अनुभव साझा करते हुए बताया गया कि बाड़मेर, जैसलमेर में प्रोजेक्ट के तहत जलापूर्ति योजनाओं का लाभ वहॉ की जनता को मिल रहा है साथ ही यह प्रोजेक्ट उपयोगी सिद्ध हुआ है। बैठक में एशियन डवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रदेश में लगाये गये सीवरेज प्लान्ट के रख–रखाव के लिए एवं ठोस कचरा प्रबंधन के दौरान निर्मित लैण्डफील साईट व कम्पोस्ट प्लान्ट बनाये जाने पर भी विचार–विमर्श किया गया।

एनर्जी सेविंग परियोजना के तहत प्रदेश की 137 नगरीय निकायो में अब तक लगाई जा चुकी 6.85 लाख एल.ई.डी. लाईटें

एनर्जी सेविंग परियोजना के तहत प्रदेश की 137 नगरीय निकायो में 6.85 लाख एल.ई.डी. लाईटें अब तक लगाई जा चुकी है तथा शेष नगरीय निकायो में माह अप्रैल में प्रारम्भ किया जायेगा।

बैठक में डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों में एनर्जी सेविंग परियोजना से 61 प्रतिशत ऊर्जा के बचत का आंकलन किया गया है तथा गत 2 वर्षो में परियोजना लागू होने के पश्चात् लगभग 68 करोड़ रूपये की विद्युत की बचत हुई है। परियोजना पूर्ण होन पर लगभग 121 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष विद्युत की बचत होगी। ई.ई.एस.एल. द्वारा 137 निकायो मे अभी तक कुल 6.85 लाख एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट लगायी जा चुकी है शेष 53 निकायो मे आगामी अप्रैल माह मे कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

उन्होने बताया कि प्रदेश की विभिन्न शहरों में नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण के अधीनस्थ आते है ऐसे क्षेत्रों में जो नगरीय निकाय कि सीमा मे स्थित है तथा उनकी लाईटे निकायो के अधीन होने की स्थिति मे है ऐसे सभी क्षेत्रो मे एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट लगवाई जायेगीं एवं इन क्षेत्रों की स्ट्रीट लाईट फेज वायर व इंफ्रास्ट्र्क्चर का कार्य विकास प्राधिकरण/यु.आई.टी. स्वयं के खर्चे पर करेगी।

बैठक में ई.ई.एस.एल. के प्रबंध निदेशक श्री सौरभ कुमार ने बताया कि प्रदेश की जिन नगरीय निकायो मे स्ट्रीट लाईट फेज वायर उपलब्ध है, वहॉ पर जून, 2017 तक एल.ई.डी. लाईट लगा दी जावेंगी तथा जुलाई, 2017 तक सी.सी.एम.एस. स्थापित कर दिये जावेंगे। सभी निकायो मे एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट ठीक करने के लिये शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किया जायेगा व पर्याप्त स्टाफ लगाया जायेगा तथा एक डैशबोर्ड भी बनाया जायेगा जिसमे प्रत्येक निकाय कि एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट कि स्थिति अंकित रहेगी।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के कार्यो की समीक्षात्मक बैठक

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) में अब तक किये गये कार्यो की स्वायत्त शासन भवन में सोमवार को निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री पवन अरोड़ा की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक की समीक्षा करते हुए स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) एक समयबद्ध अभियान है एवं इसके सफल क्रियान्विति के लिए अभियान को विभिन्न चरणों में सम्पादित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके है। उन्होनें बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न वित्तीय संसाधनों के अभिसरण से जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं का पुनरोद्धार कर जल संरक्षण की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना जिससे वर्षा के बेकार बहते बहुमुल्य जल को प्राणी मात्र के उपयोग के लिए संरक्षित किया जा सके।

अभियान में नगरीय वासियों एवं लाभान्वितों को जल के समुचित उपयोग के बारे में जागृत कर जन सहभागिता से कार्य सम्पादित किये जा रहे है। अभियान के दौरान प्रदेश की 66 नगरीय निकायों में 1324 कार्यो को हाथ में लिया गया है। जिसमें राजकीय कार्यालयों भवनों, आवासीय भवनों, संस्थानिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि में वर्षा जल संरक्षण के लिए रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करना तथा प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल प्रवाह (वर्षा जल, सतही जल, भू गर्भीय जल एवं सिवेज/औद्योगिक अवशेष प्रवाह) के परिशोधन/पुर्नचक्रण/प्रबंधन कर पुनः उपयोग में लेने के कार्य हाथ में लिये गये है। जिसमें कार्य के प्रारम्भ से पूर्णता तक की Geo Tagging की जा रही है। अब तक 1288 कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृती जारी की जाकर 939 कार्यो कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके है। जिनमें से 175 कार्य पूर्णता की ओर है तथा 680 कार्य प्रगति पर है। बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के दौरान राजकीय भवनों पर रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई साथ ही अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यो की साप्ताहिक बैठकों, वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई।

श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि वर्तमान में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के दौरान जारी 1324 कार्यो में से 250 कार्य बावड़ियों के जीर्णोद्धार से संबंधित है। उन्होनें बताया की मौके पर सभी स्थानों पर अच्छा कार्य चल रहा है। उन्होनें निर्देश दिये कि किये जा रहे कार्यो की निरन्तर Geo Tagging की जाये। जिससे कार्या की जानकारी त्वरित गति से प्राप्त हो सके। उन्होनें बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (ग्रामीण) के दौरान किये गये बेहतर कार्यो से भू–जल स्तर में बढ़ोत्तरी हुई है। इस प्रकार मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के परिणाम प्राप्त होंगे। उन्होनें बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि 31 मार्च, 2017 तक निर्धारित कार्यो की पूर्ति की जाये तथा उसकी सूचना निदेशालय को भिजवाये जाये। बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) की सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों की जानकारी भी दी गई।

अमृत योजना की नवीं बैठक में 230.67 करोड़ रूपये की राशि सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, ग्रीन स्पेस परियोजना के लिए स्वीकृत

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना) की स्टेट लेवल हाई पावर कमेटी की नवीं बैठक प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ मनजीत सिंह की अध्यक्षता में स्वायत्त शासन भवन में गुरूवार को दोपहर 12:30 बजे आयोजित हुई।

बैठक में 230.67 करोड़ रूपये की सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, ग्रीन स्पेस की कार्य योजनाओं को स्वीकृती प्रदान की गई। जिसमें सीवरेज की 6 परियोजनाओं राशि रूपये 161.19 करोड़, जलापूर्ति योजना की एक परियोजना के लिए 29.98 करोड़ रूपये, ड्रेनेज की एक परियोजना के लिए 11 करोड़ रूपये, ग्रीन स्पेस की 3 परियोजना के लिए 6.50 करोड़ रूपये की कार्य योजना के प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को स्वीकृती के लिए भेजे जाने की अभिशंषा की गई।

बैठक में अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना) के तहत अब तक किये गये कार्यो एवं पूर्व बैठकों में लिये गये निर्णयों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना) के तहत 3223.94 करोड़ रूपये के कुल कार्य किये जाने है। जिसमें से 2819.79 करोड़ रूपये की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृती गत बैठक में प्रदान की जा चुकी है।

बैठक में सीवरेज से संबंधित 6 परियोजनाओं राशि रूपये 161.19 को स्वीकृती प्रदान की गई। जिनमें कोटा सीवरेज परियोजना के लिए 95.19 करोड़ रूपये, सवाई माधोपुर सीवरेज परियोजना के लिए 24 करोड़ रूपये, श्रीगंगानगर सीवरेज परियोजना के लिए 10 करोड़ रूपये, टोंक सीवरेज परियोजना के लिए 10 करोड़ रूपये, पाली सीवरेज परियोजना के लिए 10 करोड़ रूपये, भीलवाड़ा सीवरेज परियोजना के लिए 10 करोड़ रूपये तथा उदयपुर में से सीवरेज के अतिरिक्त कार्य के लिए 2 करोड़ रूपये की स्वीकृती दी गई।

बैठक में जलापूर्ति योजना के तहत अजमेर की जलापूर्ति योजना के लिए 29.98 करोड़ रूपये की स्वीकृती प्रदान की गई। इसी प्रकार ड्रेनेज परियोजना के तहत झुंझुंनू की ड्रेनेज परियोजना के लिए 11 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई।

बैठक में ग्रीन स्पेस परियोजना के लिए 6.50 करोड़ रूपये की स्वीकृती प्रदान की गई। जिसमें गंगापुरसिटी में ग्रीन स्पेस निर्माण के लिए 2 करोड़ रूपये जोधपुर में ग्रीन स्पेस निर्माण के लिए 2.50 करोड़ रूपये, सुजानगढ़ में ग्रीन स्पेस निर्माण के लिए 2 करोड़ रूपये की स्वीकृती प्रदान की गई।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के 20 नगरीय निकाय खुले मे शौच मुक्त

स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के 20 नगरीय निकाय क्षेत्रों पुष्कर, देवली, विद्याविहार, रामगढ़ शेखावाटी, रतननगर, सलूम्बर, पदमपुर, फुलेरा, झालरापाटन, नापासर (बीकानेर), निम्बाहेड़ा, विजयनगर (अजमेर), अनूपगढ़, मण्डावा, सांभरलेक, परबतसर, इन्दरगढ़ (बून्दी), राजाखेड़ा, गजसिंहपुर व नोखा को खुले मे शौच मुक्त घोषित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि डूंगरपुर नगर परिषद क्षेत्र को पूर्व में खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के जिन घटकों की समीक्षा की गई, उनमें प्रदेश को खुले में शौच मुक्त बनाने, डोर–टू–डोर कचरा एकत्रिकरण, कचरे से खाद व बिजली बनाने की परियोजनाऐं शामिल है। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव डॉ मनजीत सिंह ने एक–एक नगरीय निकाय में किये गये/किये जा रहे कार्यो की अधिकारियों से व्यक्तिशः जानकारी ली।

बैठक में 20 नगरीय निकाय क्षेत्रों खुले में शौच मुक्त घोषित करते हुए डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि उक्त शहरों की केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र ऐजेन्सी द्वारा प्रमाणिकरण का कार्य किया जाकर प्रमाण–पत्र दिये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। उन्होनें कहा कि 30 जून, 2017 तक प्रदेश के सभी शहर अपने–अपने समस्त वार्डो में डोर–टू–डोर कचरा एकत्रिकरण व्यवस्था लागू करेंगे। उन्होनें कहा कि इसके लिए किसी प्रकार की निविदा आमंत्रित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए डीजीएसएण्डडी रेट कांट्रेक्ट व विभागीय दर संविदा पर उपलब्ध आवश्यक उपकरण ऑटो हुपर, ऑटो टीपर व अन्य मशीनरी क्रय की जा सकती है। उन्होनें सभी नगरीय निकायों को निर्देशित करते हुए कहा कि कचरे से खाद बनाने की कार्यवाही के लिए सभी बड़े नगरीय निकाय क्षेत्रों में दो मशीनें तथा छोटे नगरीय निकाय क्षेत्रों में एक–एक मशीन लगाई जावे। उन्होनें बताया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों मे घरेलू, सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए विभागीय स्तर पर रेट कांट्रेक्ट की व्यवस्था शीघ्र ही लागू की जायेगी। उन्होनें निर्देश दिये कि सभी नगरीय निकाय स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाये गये घरेलू, सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों की फोटो पोर्टल पर अपलोड करवाये। जिससे किये गये कार्या की जानकारी हो सके।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने कहा कि सभी उपनिदेशक (क्षेत्रीय) अपने–अपने क्षेत्रों में जाकर स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटकों में किये जा रहे कार्यो की जानकारी व्यक्तिशः लेवें तथा नगरीय निकायों से समन्वय स्थापित कर इस संबंध में आवश्यक रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय को भेजें। उन्होनें निर्देश दिये कि राजकीय भूमि, वन विभाग, रेलवे भूमि पर भी सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण का कार्य करवाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि नगरीय निकाय संबंधित विभाग से सम्पर्क कर जहां आवश्यक हो वहां पर आवश्यकतानुसार सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराये। श्री अरोड़ा ने नगरीय निकायों को निर्देशित किया कि वे स्वच्छ भारत मिशन मद में प्रदत्त राशि से जनजागृति के लिए सूचना, शिक्षा एंव संचार गतिविधियों में अब तक किये गये कार्यो की जानकारी भी निदेशालय भिजवायें।

स्वायत्त भारत मिशन के ब्राण्ड एम्बेसडर एवं डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति श्री के.के.गुप्ता ने गत दिनों प्रदेश के सभी शहरों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये गये जनसम्पर्क एवं भ्रमण की जानकारी देते हुए अपने अनुभवों को साझा किया तथा संबंधित अधिकारियों को कार्यो में तेजी लाने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिये।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी)

प्रदेश की हैरिटेज एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बावड़ियों को जल मन्दिर के रूप में विकसित किया जायेगा

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के तहत प्रदेश की हैरिटेज एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बावड़ियों को जल मन्दिर के रूप में विकसित किया जायेगा। इस संबंध में प्रदेश की 66 नगरीय निकायों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये है।

बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) से जुड़े 66 शहरों में अब तक किये गये कार्यो की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान अब तक जारी स्वीकृतियों, कार्यादेशों तथा प्रगति विवरण पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये गये।

बैठक में नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी ने उपस्थित अधिकारियों से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के तहत किये जा रहे कार्यो की व्यक्तिशः जानकारी ली। उन्होनें निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) एक समयबद्ध अभियान है। उन्होनें बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न वित्तीय संसाधनों के अभिसरण से जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं का पुनरोद्धार कर जल संरक्षण की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना जिससे वर्षा के बेकार बहते बहुमुल्य जल को प्राणी मात्र के उपयोग के लिए संरक्षित किया जा सके।

उन्होनें कहा कि अभियान में नगरीय वासियों एवं लाभान्वितों को जल के समुचित उपयोग के बारे में जागृत कर जन सहभागिता से कार्य सम्पादित किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में समस्त प्रकार के भवनों निजी, सरकारी आवासीय, संस्थानिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि में वर्षा जल संरक्षण के लिए रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करना तथा प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल प्रवाह (वर्षा जल, सतही जल, भू गर्भीय जल एवं सिवेज/औद्योगिक अवशेष प्रवाह) के परिशोधन/पुर्नचक्रण/प्रबंधन कर पुनः उपयोग में लेने हेतु व्यवस्था की जा रही है। उन्होनें निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) कार्यो में क्षैत्रीय जनप्रतिनिधियों एंव क्षैत्रीय नागरिकों का पूर्ण सहयोग लिया जाये जिससे यह अभियान जन अभियान बन सके तथा तालाब/बावड़ियों का जन सहयोग से संरक्षण हो सके।

बैठक में राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री श्रीराम वैदरे ने 66 नगरीय निकायों के अधिकारियों से अभियान के दौरान किये जा रहे कार्यो की प्रगति एवं आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होनें बताया कि अभियान के दौरान 1100 राजकीय भवनों पर रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, 224 बावड़ियों के जीणोद्धार का कार्य, 56 शहरों में 69 स्थानों पर वनीकरण का कार्य वर्ष 2016–17 में किया जायेगा। इसके साथ ही किये जा रहे/किये गये कार्यो की Geo-tagging भी की जा रही है।

श्री श्रीराम वैदरे ने बैठक में प्रदेश के 10 शहरों गंगानगर, कैथून, केशवरायपाटन, फतेहनगर, सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी, हिण्डौनसिटी, भरतपुर, डीग, दौसा में हरित पट्टी विकसित किये जाने हेतु वन विभाग की भूमि की जानकारी व आवंटन के संबंध में चर्चा की गई साथ ही उन्होनें उपनिदेशक (क्षैत्रीय) स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर एवं भरतपुर से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) की विस्तार से जानकारी ली तथा उन्हें निर्देशित किया कि वे अपने–अपने क्षेत्रों में जाकर कार्यो को गति प्रदान करें एवं किये गये कार्यो को मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के पोर्टल पर अपलोड करवाये।

उन्होनें निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के तहत जो बावड़िया प्रथम चरण में जीर्णोद्धार कार्यो में शामिल नहीं की गई है, ऐसी बावड़ियों के प्रस्ताव उपनिदेशक (क्षैत्रीय) के माध्यम से नगरीय निकाय विभाग अविलम्ब भिजवाये तथा जो बावड़ियॉ मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) में पूर्व में चयनित की गई थी, उनकी संरचना को स्थाई रूप से सुरक्षित बनाने तथा उनका स्वरूप कायम रह सके एवं इनके पानी का आवश्यक उपयोग हो सके इसके लिए आवश्यक प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये गये।

उन्होनें मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के तहत प्रदेश के 66 शहरों में हैरिटेज एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बावड़ियों को जल मन्दिर के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होनें यह भी निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) से जुड़े 66 शहरों में स्थित सभी बावड़ियों को जीर्णोद्धार योजना से जोड़ा जाये यदि किसी बावड़ी के जीर्णोद्धार की आवश्यकता नहीं है तो संबंधित अधिकारी इस संबंध में लिखित रूप में निदेशालय को जानकारी प्रेषित करे।

बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के तहत जनजागृती के लिए जनप्रतिनिधियों, क्षैत्रीय नागरिकों के सहयोग लेने एवं प्रभातफेरी, निबन्ध प्रतियोगिताएं, नुक्कड़–नाटक, होर्डिंग्स आदि लगवाने के निर्देश दिये गये साथ ही किये गये/किये जा रहे कार्यो की जानकारी मिडिया प्रतिनिधियों को देने के लिए भी निर्देशित किया गया।

शहरी जन कल्याण योजना के तहत शिविर 10 मई से होंगे प्रारम्भ

शहरी जन कल्याण योजना के तहत नगरीय निकायों से जुड़ी आमजन की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में 10 मई से शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

बैठक में नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत आयोजित किये जाने वाले शिविरों के सफल संचालन के लिए 2 मई, 2017 को एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में किया जायेगा। जिसमें प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों के अध्यक्ष, सभापति, आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, समस्त प्राधिकरण व नगर न्यासों के अध्यक्ष एवं उपसचिव तथा नगर नियोजन विभाग के समस्त अधिकारी उपस्थि रहेंगे। उन्होनें बताया कि इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को मुख्य सचिव विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से 27 अप्रैल, 2017 को आवश्यक निर्देश देंगे। शिविरों के संचालन का कंट्रोल रूम स्वायत्त शासन भवन व मुख्य नगर नियोजन कार्यालय में स्थापित किया जायेगा। जो निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग तथा संयुक्त सचिव, नगरीय विकास विभाग के निर्देशन में कार्य करेंगे। उन्होनें बताया कि शिविरों में आमजन के अधिक से अधिक कार्य हो सके एवं आमजन लाभ उठा सके इसके लिए स्थानीय विधायकों व संबंधित नगरीय निकायों के अध्यक्षों को शामिल किया जायेगा। स्वायत्त शासन विभाग में शिविर संबंधित कार्य वरिष्ठ नगर नियोजन श्री आर.के.विजयवर्गीय व अतिरिक्त निदेशक श्री मुकेश कुमार मीणा देखेंगे।

श्री कृपलानी ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना में आयोजित शिविरों में नगरीय क्षेत्रों में आमजन के दिन–प्रतिदिन के कार्यो एवं समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नगर निगम जयपुर में दो शिविर प्रति सप्ताह प्रति जोन आयोजित होंगे। उन्होनें कहा कि जयपुर नगर निगम सीमा में 91 वार्ड है, तथा 8 जोन है। अतः दो शिविर प्रति सप्ताह प्रति जोन आयोजित किये जाने पर 16 शिविर प्रति सप्ताह आयोजित किये जा सकेंगे, ताकि दो माह में सभी वार्ड में शिविर सम्पादित किये जा सकेंगे। उन्होने बताया कि जयपुर नगर निगम के अतिरिक्त अन्य नगर निगमों में दो शिविर प्रति सप्ताह संयुक्त रूप से दो वार्ड में आयोजित किये जायेंगें। इस प्रकार प्रति सप्ताह 8 शिविर तथा दो माह में लगभग 60 वार्ड में शिविर आयोजित किये जा सकेंगे। नगर निगमों के अतिरिक्त अन्य शहरों (नगर परिषद, पालिका) में एक शिविर प्रति सप्ताह संयुक्त रूप से दो वार्ड में आयोजित किये जायेंगे। इस प्रकार दो माह में 30 से अधिक वार्डो में शिविर आयोजित किये जावेंगे। उक्त शिविर प्रत्येक सप्ताह के सोमवार व मंगलवार तथा गुरूवार व शुक्रवार को आयोजित किये जावेंगे। शिविर के प्रथम दिन शिविर में किये जाने वाले कार्यो से संबंधित ओवदन पत्र प्राप्त कर उनका परीक्षण एवं अन्य संबंधित कार्यवाही की जाकर शिविर के दूसरे दिन स्वीकृति जारी की जावेगी।

उन्होनें कहा कि शिविरों में मुख्य रूप से जो कार्य किये जायेंगे उनमें कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमन, सिवायचक भूमि पर कॉलोनी आवासों को नियमन, स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत पट्टे जारी करना, कच्ची

बस्ती नियमन, खांचा भूमि का आवंटन, निकायों द्वारा आवंटन भू–खण्डों के बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन, भवन मानचित्र अनुमोदन व निर्माण स्वीकृती, कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/नियमन व पट्टा एवं साईट प्लान जारी करना, भूखण्डों का उपविभाजन/पुर्नगठन, बकाया लीज एवं नगरीय विकास कर की ब्याज राशि में छूट देकर वसूली सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण, सिलिंग अधिनियम, अल्सर अधिनियिम, भू–स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम एवं कंस्टोडियम भूमि से प्रभावित योजनाओं में नियमन, आवसन मण्डल, पीडब्यूडी, जलसंसाधन विभाग एवं नगरीय निकायों द्वारा आवाप्त भूमि में आवासीय निर्माणों का नियमन प्राधिकरण न्यासों के क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों को आबदी हेतु भूमि आंवटन ईडब्यूएस एलआईजी तथा 60 वर्ग मी. से छोटे भूखण्डों एवं आवासों को नियमन, गाड़िया लुहारों, राज्य विमुक्त, घुन्तु, अर्द्धघुन्तु जातियों को 50 वर्गगज भूमि का निःशुल्क आवंटन, भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में विकसित भूमि का विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने और ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, एक मुश्त लीज जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाणपत्र जारी करना, भूखण्डों के नाम हस्तानान्तरण, जन्म–मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जाना, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, स्वच्छता अभियान के लिए जन जागरूकता एवं विकास कार्य मुख्यमंत्री जन आवासन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए आय प्रमाण–पत्र जारी करना तथा योजना तैयार करना, पार्को व अन्य सुविधा क्षेत्रों का सीमांकन करना, सामुदायिक शौचालय स्थलों का चिन्हिकरण, शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह का गठन, प्रशिक्षण के युवाओं का चयन के लिए आवेदन प्राप्त करना।

उन्होनें बताया कि शहरी जन कल्याण योजना के तहत आयोजित किये जाने वाले शिविरों में किये जाने वाले कार्यो के त्वरित निस्तारण के लिए एम्पावर्ड कमेटी गठित की गई है। जिसमें नगर निगमों में उपायुक्त, अध्यक्ष/संयोजक होंगे। अधिशाषी/सहायक/कनिष्ठ अभियंता सदस्य होंगे। नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक व वरिष्ठ प्रारूपकार सदस्य होंगें। लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार तथा विधि शाखा के अधिकारी सदस्य होंगें। नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में शिविरों में किये जाने वाले कार्यो के त्वरित निस्तारण के लिए **एम्पावर्ड कमेटी** गठित की गई है। जिसमें आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, अध्यक्ष/संयोजक होंगे। अधिशाषी/सहायक/कनिष्ठ अभियंता सदस्य होंगे। नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक व वरिष्ठ प्रारूपकार सदस्य होंगें। लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार तथा विधि शाखा के अधिकारी सदस्य होंगें।

उन्होने बताया कि एम्पावर्ड कमेटी को शिविर में किये जाने वाले समस्त कार्यो में स्वीकृती दिये जाने की समस्त शक्तियां नगर पालिका अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त की जायेंगी।

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत 10 मई, 2017 से प्रारम्भ होने वाले शिविर आमजन को राहत पहुॅचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत 10 मई, 2017 से प्रारम्भ होने वाले शिविर आमजन को राहत पहुॅचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। शिविरों का आयोजन पूर्ण तैयारियों के साथ किया जाये जिससे आमजन को शिविरों का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

विडियों कांफ्रेसिंग में मुख्य सचिव श्री ओ.पी. मीणा ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, नगरीय निकायों के अधिकारियों निर्देशित किया कि वे मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत 10 मई, 2017 से प्रारम्भ होने वाले आयोजित होने वाले शिविरों का आयोजन पूर्ण तैयारियों के साथ करें। जिससे अधिक से अधिक लोगों को राहत मिल सकें। उन्होनें कहा कि शिविरों में भूमि नियमन के साथ–साथ पट्टे देने की कार्यवाही, नक्शे पास करने, नाम हस्तानांतरण के कार्य त्वरित गति से किये जाये तथा दी गई छूट एवं शिथिलता का लाभ आमजन तक पहुॅचाये। उन्होनें कहा कि यह नगरीय क्षेत्रों के लिए एक महत्वूर्ण पहल है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास विभाग श्री मुकेश शर्मा ने शिविरों में किये जाने वाले कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं जिला कलेक्टरों से कहा कि उनकी शिविरों में महत्वपूर्ण भूमिका है तथा यह शिविर राज्य सरकार की आमजन को अधिक से अधिक लाभ देने की योजना है। प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि शिविरों के दौरान आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए नगर नियोजन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग में कंट्रोल रूम स्थापित किये गये है। उन्होनें निर्देश दिये कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ देकर राहत प्रदान की जाये तथा इस दौरान लीज, नगरीय विकास कर में दी गई छूट का लाभ देते हुए राजस्व वसूली की जाये।

विडियों कांफ्रेसिंग के दौरान स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने शिविरों के संबंध में अपना प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें उन्होनें शिविरों के दौरान किये जाने वाले कार्यो की जानकारी दी तथा जिला कलेक्टरों एवं अधिकारियों को विभिन्न शिथिलता/छूट की जानकारी भी दी। उन्होनें बताया कि राज्य सरकार द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को शिविरों के दौरान कार्यो के में कोताही बरतने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश भी दिये है। उन्होने शिविरों मे जिला कलेक्टरों की भूमिका एवं कार्यो के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविरों के सफल क्रियान्विति के लिए एक दिवसीय कार्यशाला

शहरी जन कल्याण शिविरों में आम आदमी के सपने साकार होंगे

मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना के तहत आयोजित शहरी जन कल्याण शिविरों में आम आदमी के सपने साकार होंगे। शिविर 10 मई, 2017 से 10 जुलाई, 2017 तक चलेंगे। इस दौरान विकास प्राधिकरण नगर विकास न्यास एवं नगरीय निकायों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित गति से समाधान होगा। शिविरों के दौरान दी गई छूट दिसम्बर, 2017 तक जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत 10 मई से शुरू हो रहे शिविरों के सफल आयोजन के लिए मंगलवार को जयपुर स्थित बिड़ला सभागार में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना के तहत आयोजित शहरी जन कल्याण शिविरों में आम आदमी के सपनों को साकार किया जाये। उन्होनें कहा कि इस दौरान विकास प्राधिकरण नगर विकास न्यास एवं नगरीय निकायों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित गति से समाधान होगा। शिविरों के दौरान दी गई छूट दिसम्बर, 2017 तक जारी रहेगी। उन्होनें कहा कि हमें आम आदमी की मदद करनी है, जिससे उसे उसकी जमीन का पट्टा मिले एवं उसे स्वामित्व का हक मले। जिससे वह अपनी जमीन पर मकान बना सके, इससे आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यह शिविर खुशहाली की एक कोशिश है।

उन्होनें बताया कि हमारा प्रदेश देश में पहला ऐसा प्रदेश है जहॉ पर ''लैण्ड गारण्टी एक्ट'' लागू हुआ है। इस एक्ट से आम आदमी को लाभ होगा। देश के अन्य राज्यों द्वारा भी इस एक्ट को अपने यहॉ लागू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है तथा उन्होनें इस संबंध में हमारे यहॉ से जानकारी भी ली है। उन्होनें कहा कि हमारे शहरों में महिलाओं और बच्चों को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए तथा इसके लिए नगरीय निकायो को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सभी नगरीय निकायों को 5 बिन्दुओं पर कार्य करना होगा। जिनमें महिला एवं बच्चों की सुरक्षा के साथ–साथ अपने शहर को स्वच्छ रखने, खुले में शौच मुक्त बनाना, पुरा स्मारको, बावड़ियों का संरक्षण, नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों एवं चिकित्सालयों में कम दर पर स्वयं या स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाना शामिल है। उन्होनें कहा कि प्रत्येक शहर का अपना एक स्वरूप है। जैसे उदयपुर सूर्य नगरीय है तथा पिंक सिटी है इस प्रकार की पहिचान को बनाये रखने में नगरीय निकायों को अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होनें बताया कि दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश के सभी शहरों में अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत 500 वैन के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होने सभी नगरीय निकायों को दिसम्बर, 2017 तक खुले में शौच मुक्त बनाये जाने का लक्ष्य दिया।

उन्होनें कहा कि सभी नगरीय निकायों का वर्ष मे एक दिन नगरीय निकाय दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इस दिन श्रेष्ठ कार्य करने वाली नगरीय निकायों, नगर सुधार न्यास, विकास प्राधिकरणों व उनके अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मानित किया जाये। इस कार्य के लिए आम नागरिकों से भी मोबाईल ऐप के माध्यम से पॉलिंग करवाई जाये। इससे सभी नगरीय निकायों में आपसी प्रतिस्पर्द्धा पैदा होगी तथा कार्यो में सुधार होगा। उन्होनें सभी आयुक्तों एवं अधिशाषी अधिकारियों से कहा कि प्रदेश को बदलने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका एवं जिम्मेदार है।

उन्होनें निर्देश दिये कि शिविरो में कार्यो के त्वरित निस्तारण के लिए कार्यशाला में सभी उपस्थित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाये, जिससे वे शिविरों में आमजन की समस्याओं का निदान कर सकें।

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत आयोजित शिविरों में आमजन को राहत देने के लिए अनेकों प्रकार के छूट एवं शिथिलताएं दी गई है। यह छूट एवं शिथिलताएं दिसम्बर, 2017 तक लागू रहेंगी। उन्होनें बताया कि शिविरों में कार्यो को गति देने के लिए एम्पावर्ड कमेटी का भी गठन किया गया है। उन्होनें कहा कि शिविरों के प्रथम दिन शिविरों में किये जाने वाले कार्यो से संबंधित आवेदन पत्र कर उनका परीक्षण किया जाकर दूसरे स्वीकृती जारी की जायेगी।

उन्होनें कहा कि शिविरों में अधिक से अधिक लोगों को उनकी भूमि के पट्टे दिये जाये तथा भूमि का नियमन किया जाये साथ ही भवन निर्माण स्वीकृती उप विभाजन जैसे कार्यो का निपटारा भी त्वरित गति से किया जाये। उन्होनें इस अवसर पर उपस्थित महापौर, सभापति, अध्यक्षों की शिविरों से संबंधित शंकाओं का समाधान किया एवं उन्हें शिविरों के बारे में आवश्यक जानकारी दी। उन्होनें स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर–घर शौचालय बनाने, सामुदायिक शौचालयों के निर्माण एवं शहरों को खुले में शौच मुक्त किये जाने पर भी जोर दिया तथा सभी को दिसम्बर, 2017 तक अपने–अपने शहरों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य दिया।

इस अवसर पर नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मुकेश शर्मा ने शिविरो में किये जाने वाले कार्यो की जानकरी दी। राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री श्रीराम वैदरे ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के बारे में तथा प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने शिविरों के आयोजन, स्थान के साथ–साथ शिविरों में दी गई छूट शिथिलता, प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होनें कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों के विभिन्न प्रश्नों को जवाब दिया तथा सभी को शिविरों की सफलता के लिए उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी दी। उन्होनें सभी को निर्देशित किया कि वे अपने–अपने नगरीय निकाय क्षेत्रों में शिविरों के प्रचार–प्रसार के लिए निदेशालय से भिजवाये गये डिजाईन के फ्लैक्स लगवाये। कार्यशाला में शिविरो के मॉनिटरिंग के ऑनलाईन प्रपत्र भरने की भी जानकारी दी गई।

मंत्री श्री कृपलानी ने बताया कि प्रदेश के सभी नगरीय निकाय एवं स्थानीय निकायों के अध्यक्ष एवं अधिकारियों को शिविरों के सफल आयोजन के लिए विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। उनकी शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान किया गया ताकि शिविरों में अधिकाधिक आमजन को लाभान्वित किया जा सके। हमारा प्रयास रहेगा कि मुख्यमंत्री की भावना के मुताबिक राज्य के हर व्यक्ति को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही उन्हें उनके अधिकार भी मिले। उन्होंने बताया कि शहरों में रहने वाले उन लाखों लोगों को हम किस प्रकार उन्हें सुविधा एवं लाभ दें ताकि उन्हें उनके मकान का पट्टा मिलने का सपना साकार हो सके।

श्री कृपलानी ने बताया कि यह अभियान 10 मई से 10 जुलाई तक चलाया जाएगा। शहरों में अपना खाता भूमि तथा अन्य प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। अगर जन सुविधाओं के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा तो वह भी करेंगे।

उन्होंने बताया कि कार्यशाला में मुख्य रूप से मुख्यमंत्रीी शहरी जन कल्याण योजना के तहत आयोजित शिविरों में राज्य सरकार की ओर से कार्यों को त्वरित गति से निस्तारण के लिए अनेकों प्रकार की दी गई छूट एवं शिथिलताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन, हाउसिंग फॉर ऑल, मॉनिटरिंग सिस्टम एवं स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया।

शहरी जन कल्याण शिविर

प्रथम शिविर में 1818 पट्टे, 358 भवन मानचित्र, 2937 लीज मुक्ति प्रमाण–पत्र जारी नगरीय विकास कर, लीज व अन्य मदों से 2507.68 लाख रूपये का राजस्व

मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना के तहत आयोजित प्रथम शिविर में नगरीय निकायों ने 1818 पट्टे जारी किये तथा 358 भवन मानचित्रों को स्वीकृत किया। शिविरों में नगरीय विकास कर, लीज व अन्य मदों से नगरीय निकायो को 2507.68 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

स्वायत्त शासन विभाग के संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में नगर विकास न्यास विकास प्राधिकरण एवं शहरी निकायों से जुड़ी समस्याओं एवं प्रकरणों के त्वरित समाधान के लिए 10 मई, 2017 से 10 जुलाई, 2017 तक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरो में आमजन द्वारा बड़ी संख्या में आकर शिविरों में किये जा रहे कार्यो की जानकारी प्राप्त की गई।

उन्होनें बताया कि गत दो दिनों में शिविरों में 1818 पट्टे जारी किये गये 358 मानचित्र स्वीकृत, 2937 अन्य प्रकरणों को निस्तारण किये गये तथा 2937 प्रकरणों में लीज मुक्ति प्रमाण–पत्र दिये गये 27.12 लाख रूपये लीज के रूप में 14.41 लाख रूपये नगरीय विकास कर के रूप में तथा 2466.15 लाख रूपये अन्य मदों से प्राप्त आय इस प्रकार दो दिवस में 2507.68 लाख रूपये की आय नगरीय निकायों को प्राप्त हुई है।

अजमेर संभाग में शहरी जन कल्याण शिविरों में अब तक 207 पट्टे जारी किये गये तथा 43 भवन मानचित्रों को स्वीकृती प्रदान की गई तथा 414 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया लीज मुक्ति के 35 प्रमाण–पत्र जारी कर 67000 रू. वसूले गये। नगरीय विकास कर से 1.39 लाख रूपये एवं अन्य मदों से 112.38 लाख रूपये प्राप्त किये गये इस प्रकार कुल राजस्व 114.44 लाख रूपये प्राप्त किया गया।

भरतपुर संभाग में शहरी जन कल्याण शिविरों में अब तक 102 पट्टे जारी किये गये तथा 13 भवन मानचित्रों को स्वीकृती प्रदान की गई तथा 181 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया लीज मुक्ति के 7 प्रमाण–पत्र जारी कर 2.24 लाख रू. वसूले गये। नगरीय विकास कर से 85000 रूपये एवं अन्य मदों से 20.73 लाख रूपये प्राप्त किये गये इस प्रकार कुल राजस्व 23.82 लाख रूपये प्राप्त किया गया।

बीकानेर संभाग में शहरी जन कल्याण शिविरों में अब तक 190 पट्टे जारी किये गये तथा 39 भवन मानचित्रों को स्वीकृती प्रदान की गई तथा 315 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया लीज मुक्ति के 93 प्रमाण–पत्र जारी कर 4.84 लाख रू. वसूले गये। नगरीय विकास कर से 30000 रूपये एवं अन्य मदों से 63.66 लाख रूपये प्राप्त किये गये इस प्रकार कुल राजस्व 68.00 लाख रूपये प्राप्त किया गया।

जयपुर संभाग में शहरी जन कल्याण शिविरों में अब तक 860 पट्टे जारी किये गये तथा 27 भवन मानचित्रों को स्वीकृती प्रदान की गई तथा 963 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया लीज मुक्ति के 3 प्रमाण–पत्र जारी कर 1.16 लाख रू. वसूले गये। नगरीय विकास कर से 6.96 लाख रूपये एवं अन्य मदों से 1425.27 लाख रूपये प्राप्त किये गये इस प्रकार कुल राजस्व 1433.39 लाख रूपये प्राप्त किया गया।

जोधपुर संभाग में शहरी जन कल्याण शिविरों में अब तक 262 पट्टे जारी किये गये तथा 101 भवन मानचित्रों को स्वीकृती प्रदान की गई तथा 556 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया लीज मुक्ति के 111

प्रमाण–पत्र जारी कर 16.24 लाख रू. वसूले गये। नगरीय विकास कर से 4.03 लाख रूपये एवं अन्य मदों से 740.30 लाख रूपये प्राप्त किये गये इस प्रकार कुल राजस्व 760.57 लाख रूपये प्राप्त किया गया।

कोटा संभाग में शहरी जन कल्याण शिविरों में अब तक 80 पट्टे जारी किये गये तथा 23 भवन मानचित्रों को स्वीकृती प्रदान की गई तथा 137 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया लीज मुक्ति के 3 प्रमाण–पत्र जारी कर 15000 रू. वसूले गये। नगरीय विकास कर से 18000 रूपये एवं अन्य मदों से 13.42 लाख रूपये प्राप्त किये गये इस प्रकार कुल राजस्व 14.15 लाख रूपये प्राप्त किया गया।

उदयपुर संभाग में शहरी जन कल्याण शिविरों में अब तक 117 पट्टे जारी किये गये तथा 112 भवन मानचित्रों को स्वीकृती प्रदान की गई तथा 371 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया लीज मुक्ति के 28 प्रमाण–पत्र जारी कर 1.82 लाख रू. वसूले गये। नगरीय विकास कर से 70000 रूपये एवं अन्य मदों से 89.99 लाख रूपये प्राप्त किये गये इस प्रकार कुल राजस्व 92.51 लाख रूपये प्राप्त किया गया।

श्री अरोड़ा ने बताया कि स्टेट ग्राण्ट एक्ट एवं गाड़िया, लुहार, विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्धघुमंतु जातियों को दिये जाने वाले पट्टे पांच वर्ष तक हस्तान्तरण नहीं किये जा सकेंगे। उन्होनें बतायेा कि समस्त पट्टों का पंजीयन व नामांकन अनिवार्य होगा। पट्टा जारी करते समय अनुज्ञेय क्षेत्र का पट्टा जारी किया जावेगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति व भूमि के स्वामित्व का पट्टा दोनों अलग–अलग है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी)

बावड़ियों के जीर्णोद्धार व रूफटॉप हार्वेस्टिंग निर्माण के सभी कार्य 30 जून, 2017 तक पूर्ण होंगे

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के तहत प्रथम चरण के दौरान किये जाने वाले कार्य 30 जून तक पूर्ण करने होंगे। प्रदेश में अभियान के दौरान बावड़ियों को जल मन्दिर बनाये जाने के लिए 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए।

बैठक में डॉ मनजीत सिंह ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि अभियान के दौरान प्रथम चरण में किये जाने वाले सभी कार्य 30 जून, 2017 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिये जाये। वर्तमान में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के दौरान प्रदेश के 66 शहरों में 224 बावड़ियों के जीर्णोद्धार एवं 1100 रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का कार्य जारी है। बैठक में जल मन्दिर बनाने के 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें सूरतगढ़, तारानगर, झालरापाटन, उदयपुर, फतेहनगर, राजसमंद, चित्तोड़गढ़, भीलवाड़ा, नागौर से एक–एक तथा कोटा व बून्दी से दो–दो प्रस्ताव प्राप्त हुए।

डॉ मनजीत सिंह ने कहा कि अभियान के प्रथम चरण में जिन बावड़ियों में सौंदर्यकरण, प्रकाश व्यवस्था, कवरिंग के कार्य अधूरे रह गये थे उनके प्रस्ताव तैयार कर तुरन्त भिजवाये जाये, जिससे वहॉ शेष रहे कार्यो को पूर्ण किया जा सके। उन्होनें कहा कि बावड़ियों के पानी का क्या उपयोग किया जायेगा। इसके प्रस्ताव भी भिजवायें जाये। उन्होनें यह निर्देश भी दिये कि बावड़ियों के जीर्णोद्धार के दौरान कार्य की गुणवत्ता कोई समझौता नहीं किया जायेगा, अर्थात् कार्य उत्कृष्ठ श्रेणी के करवाये जायें। उन्होनें सभी उपनिदेशक (क्षैत्रीय) को निर्देशि दिये कि वे अपने–अपने क्षेत्र में नगरीय निकायों की बैठक लेकर कार्यो को तेजी से पूर्ण करवाये।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने सभी 66 शहरों में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के दौरान अब तक किये गये कार्यो की वहॉ के अधीक्षण अभियन्ताओं से जानकारी ली। उन्होनें निर्देश दिये कि अब तक किये गये कार्यो के GEO-Tagging के माध्यम से पोर्टल पर फोटो अपलोड किये जाये। इस दौरान कुछ अधिकारियों से बताया कि ऑनलाईन फोटो अपलोडिंग में परेशानी आ रही है। इस पर राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण के सूचना तकनीकी विशेषज्ञ श्री विकास को आ रही समस्या के समाधान के लिए निर्देशित किया गया।

बैठक में अब तक दी गई स्वीकृतियों के अन्तराल/वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तराल, प्रगति विवरण के बारे में उपस्थित अधिकारियों से जानकारी ली गई तथा उन्हें आवश्यक निर्देश दिये गये।

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन की मिशन निदेशक डॉ आरूषी मलिक ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरेलू शौचालयों, डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण, कचरे की प्रोसेसिंग के लिए प्लान्ट लगाना एवं खुले में शौच मुक्त शहर बनाने के लिए नगरीय निकायों द्वारा किये जा रहे कार्यो की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिये कि घरेलू शौचालय के निर्माण की गति को बढ़ाया जाये तथा मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत आयोजित शिविरों में घरेलू शौचालय बनाने के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को स्वीकृत प्रदान की जाये।

मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना के तहत आयोजित शिविरों की समीक्षा

मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना के तहत आयोजित शिविरों की नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी ने मंगलवार को स्वायत्त शासन भवन में दोपहर 2:00 बजे समीक्षा की एवं शिविरों में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देशित किया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि स्टेट ग्रान्ट एक्ट का पट्टा राज्य सरकार के Rajasthan Government Grant Act, 1961 के तहत् दिये जाते है। यह पट्टे नगर पालिका सीमा में स्थित नजूल (आबादी) भूमि पर 40 वर्ष अथवा अधिक पूराने कच्चे अथवा पक्के मकानों के लिए अधिकतम 300 वर्गमीटर भूमि का पट्टा दिये जाते है। स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत् दिये जाने वाले पट्टो से संबंधित भूमि/भवन नगर के पुरानी आबादी क्षेत्र/चार दिवारी क्षेत्र/घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है, एवं इन क्षेत्रों में परम्परागत रूप से जीरो सेटबेक पर निर्माण स्थित है तथा भवन विनियमों में भी ऐसे क्षेत्रों के लिए मौजूदा भवन रेखा रखते हुये मौके पर उपलब्ध सड़क की चौड़ाई के अनुरूप ही स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत् मौके पर स्थित निर्माण एवं सडक की चौडाई के अनुरूप ही पट्टा दिये जा सकेंगे।

बैठक मे ले–आऊट प्लान के संबंध में निर्णय लिया गया कि वर्तमान में ले–आउट प्लान का अनुमोदन क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय की तकनीकी अभिशंषा के पश्चात् ले–आउट प्लान कमेटी में किया जाता हैं। इस प्रक्रिया में समय लगने के कारण ले–आउट प्लान का अनुमोदन नगरीय निकाय स्तर पर गठित ले–आउट प्लान कमेटी में अथवा एम्पावर्ड कमेटी में ही किया जावे तथा क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित होंगे। जिससे ले–आउट प्लान का अनुमोदन स्थानीय स्तर पर ही नगर नियोजक की राय के अनुरूप हो सके।

उपविभाजन एवं पुनर्गठन की स्वीकृति के संबंध में बैठक में बताया गया कि वर्तमान में भूखण्डों के उपविभाजन/पुर्नगठन हेतु 1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल भूमि होने पर प्रकरण राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। इस प्रक्रिया में समय लगने के कारण उपविभाजन/पुर्नगठन के 3000 वर्ग.मी. क्षेत्रफल तक के भूखण्डों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर गठित एम्पावर्ड कमेटी के स्तर पर ही किया जावेगा। जिससे उपविभाजन/पुर्नगठन संबंधित प्रकरणों का निस्तारण योजना अवधि में लगाये जा रहे शिविर की अवधि में किया जा सके।

भवन निर्माण एवं नियमन के संबध में बताते हुए उन्होनें कहा कि वर्तमान में कई नगरीय निकायों द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति/नियमन संबंधी प्रकरण निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग को मार्गदर्शन या राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। अतः मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना अवधि में भवन निर्माण स्वीकृति/नियमन की कार्यवाही भवन विनियमों में देय मानदण्डों के अनुरूप दिये जाने के लिए गठित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा ही किया जावेगा ताकि भवन निर्माण स्वीकृती से संबंधित अधिक से अधिक प्रकरणों का शिविरों में निस्तारण संभव हो सके।

शहरी जन कल्याण शिविर

शिविरों में 3069 पट्टे, 538 भवन मानचित्र, 401 लीज मुक्ति प्रमाण–पत्र जारी नगरीय विकास कर, लीज व अन्य मदों से 3117.13 लाख रूपये का राजस्व

मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना के तहत आयोजित शिविरों में प्रदेश की नगरीय निकायों ने 3069 पट्टे जारी किये तथा 538 भवन मानचित्रों को स्वीकृत 196 भू आवंटन किये तथा 5671 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया। शिविरों में नगरीय विकास कर, लीज व अन्य मदों से नगरीय निकायो को 3117.13 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

स्वायत्त शासन विभाग के संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने बताया शिविरों में अब तक 3069 पट्टे जारी किये गये है तथा 538 भवन मानचित्र स्वीकृत किये गये है एवं 5671 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया है एवं 401 लीज मुक्ति प्रमाण–पत्र दिये गये है जिनसे 67.02 लाख रूपये लीज के रूप में प्राप्त हुए है। शिविरों में नगरीय विकास कर के रूप में 91.21 लाख रूपये तथा अन्य मदों से 2958.9 लाख रूपये की आय प्राप्त हुई है। इस प्रकार अब तक शिविरों में कुल राशि रूपये 3117.13 लाख की आय नगरीय निकायों को प्राप्त हुई है।

अजमेर संभाग में शहरी जन कल्याण शिविरों में अब तक 245 पट्टे जारी किये गये तथा 103 भवन मानचित्रों को स्वीकृती प्रदान की गई तथा 104 प्रकरणों में भू आवंटन किया गया है एवं 873 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किये गये है। लीज मुक्ति के 45 प्रमाण–पत्र जारी कर 13.67 लाख रू. वसूले गये। नगरीय विकास कर से 2.15 लाख रूपये एवं अन्य मदों से 144.92 लाख रूपये प्राप्त किये गये इस प्रकार कुल राजस्व 160.74 लाख रूपये प्राप्त किया गया।

भरतपुर संभाग में शहरी जन कल्याण शिविरों में अब तक 157 पट्टे जारी किये गये तथा 33 भवन मानचित्रों को स्वीकृती प्रदान की गई एवं 488 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किये गये है। लीज मुक्ति के 22 प्रमाण–पत्र जारी कर 4.95 लाख रू. वसूले गये। नगरीय विकास कर से 4.14 लाख रूपये एवं अन्य मदों से 64. 21 लाख रूपये प्राप्त किये गये इस प्रकार कुल राजस्व 73.3 लाख रूपये प्राप्त किया गया।

बीकानेर संभाग में शहरी जन कल्याण शिविरों में अब तक 272 पट्टे जारी किये गये तथा 50 भवन मानचित्रों को स्वीकृती प्रदान की गई तथा 25 प्रकरणों में भू आवंटन किया गया है एवं 668 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किये गये है। लीज मुक्ति के 157 प्रमाण–पत्र जारी कर 15.52 लाख रू. वसूले गये। नगरीय विकास कर से 0.98 लाख रूपये एवं अन्य मदों से 147.37 लाख रूपये प्राप्त किये गये इस प्रकार कुल राजस्व 163.87 लाख रूपये प्राप्त किया गया।

जयपुर संभाग में शहरी जन कल्याण शिविरों में अब तक 1687 पट्टे जारी किये गये तथा 39 भवन मानचित्रों को स्वीकृती प्रदान की गई एवं 1763 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किये गये है। लीज मुक्ति के 16 प्रमाण–पत्र जारी कर 7.42 लाख रू. वसूले गये। नगरीय विकास कर से 66.45 लाख रूपये एवं अन्य मदों से 1584.04 लाख रूपये प्राप्त किये गये इस प्रकार कुल राजस्व 1657.91 लाख रूपये प्राप्त किया गया।

जोधपुर संभाग में शहरी जन कल्याण शिविरों में अब तक 459 पट्टे जारी किये गये तथा 123 भवन मानचित्रों को स्वीकृती प्रदान की गई तथा 64 प्रकरणों में भू आवंटन किया गया है एवं 898 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किये गये है। लीज मुक्ति के 123 प्रमाण–पत्र जारी कर 22.27 लाख रू. वसूले गये। नगरीय विकास

कर से 12.9 लाख रूपये एवं अन्य मदों से 801.39 लाख रूपये प्राप्त किये गये इस प्रकार कुल राजस्व 836.56 लाख रूपये प्राप्त किया गया।

कोटा संभाग में शहरी जन कल्याण शिविरों में अब तक 115 पट्टे जारी किये गये तथा 25 भवन मानचित्रों को स्वीकृती प्रदान की गई तथा 3 प्रकरणों में भू आवंटन किया गया है एवं 176 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किये गये है। लीज मुक्ति के 3 प्रमाण–पत्र जारी कर 0.5 लाख रू. वसूले गये। नगरीय विकास कर से 0.35 लाख रूपये एवं अन्य मदों से 34.14 लाख रूपये प्राप्त किये गये इस प्रकार कुल राजस्व 34.99 लाख रूपये प्राप्त किया गया।

उदयपुर संभाग में शहरी जन कल्याण शिविरों में अब तक 134 पट्टे जारी किये गये तथा 165 भवन मानचित्रों को स्वीकृती प्रदान की गई एवं 805 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किये गये है। लीज मुक्ति के 35 प्रमाण–पत्र जारी कर 2.69 लाख रू. वसूले गये। नगरीय विकास कर से 4.24 लाख रूपये एवं अन्य मदों से 182. 83 लाख रूपये प्राप्त किये गये इस प्रकार कुल राजस्व 189.76 लाख रूपये प्राप्त किया गया।

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एवं वित्त पोषित छः योजनाओं एवं मिशन की समीक्षात्मक बैठक

जयपुर 22 मई। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एवं वित्त पोषित दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, हृदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के मिशन निदेशकों (केन्द्र सरकार) द्वारा मंगलवार को होटल ललित, जवाहर सर्किल मे आयोजित बैठक में समीक्षा की गई।

बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एवं वित्त पोषित दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, हृदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के मिशन निदेशकों (केन्द्र सरकार) द्वारा अब तक किये गये कार्यो की समीक्षा की गई तथा आगामी एक वर्ष मे मिशन एवं योजना के तहत किये जाने वाले कार्यो का एक्शन प्लान तैयार किया।

भारत सरकार के शहरी विकास, आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन, सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एम. वैंकया नायडू एवं मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती वसुंधरा राजे, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास आवासन तथा स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी द्वारा सचिवालय (मुख्यमंत्री कार्यालय) में मंगलवार 23 मई को केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एवं वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं एवं मिशन की समीक्षा की जायेगी। इस अवसर पर उपरोक्त योजनाओं एवं मिशन के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिया जायेगा।

भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के मिशन निदेशक श्री प्रवीण प्रकाश ने बताया कि अभी तक देश के उत्तर–पूर्व के आठ प्रदेशों एवं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखण्ड में केन्द्र पोषित योजनाओं एवं मिशन की समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन किया गया है। आगामी शुक्रवार 26 मई, 2017 को छत्तीसगढ़ में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन कर आगामी एक वर्ष का एक्शन प्लान बनाया जायेगा। उन्होनें बताया कि आगामी डेढ़ माह में देश के सभी 35 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन किया जायेगा। इससे योजनाओं को गति मिलेगी तथा नवाचारों का आदान–प्रदान हो सकेगा।